उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 2053 /सोलह-1-2023-14(54)/2014
लखनऊः दिनांकः 02 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु जनपद- बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना का निर्णय लिया गया। जनपद- बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कालेजों का निर्माण कार्य क्रमशः वर्ष 2015-16, 2015-16, 2006 एवं 2016-17 से प्रारम्भ किया गया है। अभी इन इंजीनियरिंग कालेजों के भवन निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या- 2056/1999 भारथीदासन यूनिवर्सिटी व अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.9.2001 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किसी विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी डिपार्टमेन्ट अथवा यूनिट, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं चलाई जा रही हो, को प्रारम्भ करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। परन्तु यह भी अपेक्षा की गयी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के तकनीकी शिक्षा के मापदण्डों को अवश्य ध्यान में रखा जाये।

3. उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ अधिनियम, 2000 की धारा-26 ग में निम्न प्राविधान है :-

"(1) सहयुक्त महाविद्यालय या तो राजकीय महाविद्यालय होगा या राजकीय समिति महाविद्यालय होगा। ऐसे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सहयुक्त महाविद्यालय के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

(2) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय के साथ शिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यवस्था करें।

4. जनपद-बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेजों को शैक्षिक सत्र 2023-24 से संचालित किये जाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इन इंजीनियरिंग कालेजों को डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल

कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ का सहयुक्त कालेज बना कर इनके पठन-पाठन का कार्य शैक्षिक सत्र 2023-24 से उनके नाम के सम्मुख निम्नवत अंकित शासकीय अनुदानित अभियंत्रण संस्थानों में संचालित कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0	निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कालेज का नाम	संस्थान का नाम, जिसमें पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ किया जाना है
1	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, गोण्डा	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकरनगर
2	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी लखनऊ
3	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज सोनभद्र
4	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ़	कमला नेहरू प्रोद्योगिकी संस्थान सुलतानपुर

5. उपरोक्त चारों इंजीनियरिंग कालेजों के निर्माण कार्य पूर्ण होने/ मूलभूत सुविधाओं के विकसित होने एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से विधिवत मान्यता/अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर प्रदेश की अन्य शासकीय अभियंत्रण संस्थाओं की भाँति इन इंजीनियरिंग कालेजों को भी संचालित किया जायेगा।

6. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के स्थापित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा ताकि तकनीकी शिक्षा के सम्पूर्ण विकास व समन्वय में सामंजस्य स्थापित हो सके।

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं उपभोक्ता मामले को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/नियोजन/न्याय, उ0प्र0 शासन।
8. कुलपति, डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. समस्त निदेशक/प्रधानाचार्य, स्वायत्तशासी डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थान, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. कुलसचिव, डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत इंजीनियरिंग कालेजों को विश्वविद्यालय का सहयुक्त कालेज बनाये जाने के फलस्वरूप अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
13. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर/एच0बी0टी0यू0, कानपुर।
14. कोषाधिकारी, बस्ती/ गोण्डा/मिर्जापुर/प्रतापगढ़/लखनऊ/सुलतानपुर/अम्बेडकरनगर/ सोनभद्र।
15. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कानपुर।
16. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव।